न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :— 16/2020
CIS No. :— TS/16/2020

फूलमती देवी बनाम् **रामाशंकर बरई एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
09.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 प्रस्तुत वाद में दिनांक 31.03.2021 को ही उपस्थित हो गये परन्तु इनके द्वारा अभी तक बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। जिससे अग्रिम कार्यवाही बाधित हो रही है। अतएव प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित करते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करने की याचना की गयी। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद में प्रतिवादी संख्या—1 एवं 2 दिनांक 31.03.2021 को ही अभिलेख पर उपस्थित आ चुके हैं परन्तु इनके द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या—1 एवं 2 द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु आज समयावेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या—1 एवं 2 द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी दाखिल नहीं करने से वाद में अग्रेतर कार्यवाही बाधित होती रही है। अतएव न्यायाहित में प्रतिवादी संख्या—1 एवं 2 द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु आज प्रस्तुत समयावेदन प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है और प्रतिवादी संख्या—1 एवं 2 को विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण उनको बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया जाता है। तदुपरांत प्रतिवादी संख्या—1 एवं 2 के विरूद्ध आज वाद में कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा आज बयान तहरीरी दाखिल किया गया। अभिलेख वास्ते प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी के ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 05.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष—4, नरकटियागंज।	